संख्या-11/2017/क0नि0-4-1258/11-2017-2(30)/89

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक: 09 नवम्बर, 2017**

विषयः- सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 के व्यापारी सुविधा केन्द्र हेतु चर्च रोड स्थित श्रीमती जनक गुप्ता के भवन सं0-2/2389बी 1217.00 वर्गफुट कारपेट एरिया की किराये की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया/भ0प0-सहारनपुर-176/ 2017-18/295/वाणिज्य कर, दिनांक 06-10-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 श्रीमती जनक गुप्ता के भवन में दिनांक 30.04.2017 तक संचालित व्यापारी सुविधा केन्द्र के 1217.00 वर्गफुट कारपेट एरिया का माह दिसम्बर, 2013 से दिनांक 30.04.2017 तक का अवशेष किराया रु0-12.00 प्रतिवर्गफुट की दर से कुल रु0-14,604.00 (रुपया चैदह हजार छः सौ चार मात्र) प्रतिमाह श्री मुनेश कुमार गुप्ता, श्री नितिन कुमार गुप्ता एवं श्रीमती रेनु गुप्ता के नाम से भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, उ0प्र0 एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2017/क0नि0-4-1258(1)/11-2017-2(30)/89-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।